

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

सितम्बर

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2019

विषय: जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बडेथी से जोशियाड़ा तक लम्बाई 4.9 किमी० मोटर मार्ग के किनारे आष्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.147 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिकंस लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-267/FP/UK/OTHERS/31135/2018, दिनांक 24 जुलाई, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत बडेथी से जोशियाड़ा तक लम्बाई 4.9 किमी० मोटर मार्ग के किनारे आष्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.147 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिकंस लि० को 30 वर्षों की लीज वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 16.10.2000, 08.04.2009, शासनादेश संख्या एफ०न०-5-3/2007-एफ० सी०, दिनांक 05.02.2009, एफ०न०-11-568/2014-एफ०सी०, दिनांक 02.02.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं०-156/7-1-2005-500(826)/2002, दिनांक 09.09.2005 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति/स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जायेगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. फाईबर केबिल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, फाईबर केबिल बिछाये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित फाईबर केबिल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से फाईबर केबिल बिछाये जाने के दौरान/खुदाई के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा योजनानुसार किया गया मक डिस्पोजल का निरीक्षण कर प्रमाण-पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
 15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट निश्चित करवाकर वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।
 16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्टक के शासनादेश संख्या 198/7-जी-सी- 89-3-89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक-0 070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस-01-की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
 17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के कार्य के लिए संबंधित लो0नि0वि0, डिविजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति में पत्र/आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 18. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: — (1)/ X-4-19/2(24)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
6. उप महाप्रबन्धक, विन्धिया टेलीलिंग, प्लॉट संख्या-ई-237, तीसरी मंजिल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-ViiiB, मोहाली, पंजाब।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।